मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार डेह के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 से 7 क्रमाशः गोविन्दराम, श्यामसुन्दर, सीताराम, नन्दलाल, नानूराम, जगदीशप्रसाद, राजेन्द्रप्रसाद, प्रतिवादी संख्या 1 सत्यनारायण, प्रतिवादी संख्या जगदीश एवं प्रतिवादी संख्या 9 से 16 क्रमाशः रामूराम पुत्र खुमाराम, बुधाराम, मोटाराम, मुनीराम, देवीलाल, रामूराम पुत्र मोतीराम, तुलछीराम एवं किशनलाल के शामलाति हक बंट कब्जा काश्त में मौजा तंवरा का खेत खसरा नम्बर 389 रकबा 06.13 बीघा रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादीगण संख्या 3 से 8 क्रमश रूकमा, राधा, आचुदेवी, नर्बदा, नानी एवं मोहनी के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
3. उक्त खसरान के बैक के रहन रहने कि स्थिति में रहन यथावत रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार डेह को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 17.7.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner